वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर द्वारा धमतरी एवं गरियाबंद जिले के उदन्ती–सीतानदी टाइगर रिजर्व, गरियाबंद क्षेत्र में "भारतनेट फेस–2" अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट ऑफ–वे में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 8.965 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 4.193 हे. एवं संरक्षित वन भूमि 4.772 हे.) में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 8.965 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 26/07/2023
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

26/7

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

Form -4 (OFC Line) 2023.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–869/1775 नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Udanti Sitanadi Tiger Reserve, Gariyaband Forest Division "Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 8.965 ha. regarding पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 45530/ 2020**

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/ व. प्रा./ प्रबंध–508 /3342 दिनांक 20.07.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा निर्धारित प्रपत्र–IV में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गरियाबंद एवं धमतरी जिले के उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व के अर्सीकन्हार, इन्दांगांव, रिसगांव, सीतानदी, दक्षिण उदन्ती, कुल्हाडीघाट, उत्तर उदंती एवं तौरेंगा परिक्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो के ब्लाक के वन भूमि रकबा 8.965 हे. वन के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/ 45530/ 2020 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रू. 24,000/– जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	2–4
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः**– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गरियाबंद एवं धमतरी जिले के उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व के अर्सीकन्हार, इन्दांगांव, रिसगांव, सीतानदी, दक्षिण उदन्ती, कुल्हाडीघाट, उत्तर उदंती एवं तौरेंगा परिक्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम पंचायतो के ब्लाक के आरक्षित वन भूमि 4.193 एवं संरक्षित वन भूमि 4.772 हे. कुल रकबा 8.965 हे. वन भूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	5 –8
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः–** उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व के अर्सीकन्हार, इन्दांगांव, रिसगांव, सीतानदी, दक्षिण उदन्ती, कुल्हाडीघाट, उत्तर उदंती एवं तौरेंगा परिक्षेत्र के अंतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतो को मौजूदा राईट आफ के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 11.191 हे. है।	9
5.	**व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः–** प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का **1:50000 स्केल का** मानचित्र संलग्न है।	10–12

6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः**— व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	13—25
7.	**प्रपत्र—4 में प्रस्तावः**— प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 29 करोड़ 27 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी के कथन अनुसार उदंती—सीतानदी टायगर रिजर्व के अर्सीकन्हार, इन्दांगांव, रिसगांव, सीतानदी, दक्षिण उदन्ती, कुल्हाडीघाट, उत्तर उदंती एवं तौरेंगा परिक्षेत्र के ग्राम पंचायतो को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होंगे।	26—32
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः**— तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	33—35
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः**— प्रस्ताव में उप निदेशक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद एवं आवेदक संस्थान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	36
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः**— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	37
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः**— प्रपत्र—3 पर उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 29.10.2021 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं निदेशक उदन्ती—सीतानदी टाईगर रिजर्व द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	38—59
12.	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्रः**— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है। उप निदेशक, उदंती – सीतानदी टायगर रिजर्व एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	60
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ—5—20/2007/10—2 दिनांक 12/01/2010)**:— संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निर्देश प्रस्ताव में संलग्न है।	61—64
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:**— उदन्ती —सीतानदी टायगर रिजर्व के लिए आने वाले जिले गरियाबंद एवं धमतरी का कुल वन भूमि रकबा 5919.94 वर्ग कि.मी. है।	65
15.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:—** उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व के अंतर्गत स्वीकृत 04 प्रकरणों में 19.440 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	66
16.	**व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:**— व.स.अ.—1980 तहत उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत इसी श्रेणी के 03 प्रकरणों में रकबा 4.290 हे. स्वीकृत हुए है।	67
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ—5—20/2007/10—2 दिनांक 12/01/2010)**:— प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में उदन्ती—सीतानदी टायगर रिजर्व स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का उप निदेशक, उदन्ती – सीतानदी टायगर रिजर्व एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	68
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली**	69—71

	का पत्र कमांक / F.No. 11–9 / 1998 दिनांक 03 / 08 / 2009):– आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला गरियाबंद द्वारा दिनांक 30.01.2021 से एवं कलेक्टर जिला धमतरी द्वारा दिनांक 04.03.2020 से वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र / 1317 दिनांक 25 / 05 / 2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर गरियाबंद के पत्र दिनांक 30.01.2021 एवं कलेक्टर, जिला धमतरी द्वारा पत्र दिनांक 23.04.2020 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	72–75
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक / एफ–7–22 / 2009 / 10–2 दिनांक 31 / 07 / 2009)**:– विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार है।	76
21.	**राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा**:– ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत 10 कि. मी. की परिधि में उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व स्थित होने के कारण परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–508 / 847 दिनांक 28.02.2022 से अनुशंसा की गई है।	77–91
22.	**1. प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी**:– प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 8.965 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम पोण्डगांव में 10.427 हे. का डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिसमें से समतुल्य राजस्व भूमि रकबा 8.965 हे. उक्त प्रकरण उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु एवं शेष समतुल्य रकबा 1.462 हे. एक अन्य प्रकरण एलीफेन्ट रिजर्व अंबिकापुर अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई है। उक्त दोनो का संयुक्त डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट एवं परियोजना प्रतिवेदन 03 प्रति में संलग्न है। **2. शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की जानकारी**:– व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 8.965 हे. वन भूमि में केबल बिछाने के कार्य हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि जमा करने हेतु जो भी दिशा निर्देश जारी किया जावेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा मान्य होगा जिसका वचन पत्र संलग्न किया गया है।	

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 01 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:–
1. प्रस्ताव 01 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115– 869/ 1776 नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन्यप्राणी, अरण्य भवन, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य वन संरक्षक,** वन्यजीवन एवं क्षेत्रीय निदेशक, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर।
3. **वन मंडलाधिकारी**, गरियाबंद वन मंडल, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
4. **उप निदेशक**, उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद।
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़